केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 38)

[20 सितम्बर, 1960]

उत्पाद-शुल्क से संबंधित कतिपय विधियों का ऐसी विधियों में मीटरी मात्रकों के रखने के प्रयोजन के लिए और संशोधन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम, 1960 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2.-8. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा] निरसित ।

9. व्यावृत्तियां—इस अधिनियम की कोई भी बात इसके द्वारा संशोधित अधिनियमितियों में से किसी के अधीन जारी की गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी अधिसूचना, नियम या आदेश की विधिमान्यता पर केवल इस तथ्य के कारण प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी कि उसमें विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद-शुल्क की दर आनों, पैसों या पाइयों में या बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 (1956 का 89) के अधीन किसी मानक द्रव्यमान या माप से भिन्न किसी बाट या माप के प्रति निर्देश से अभिव्यक्त की गई है; और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, नियम या आदेश, जब तक केन्द्रीय सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाए तब तक प्रभावी बना रहेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो ।

प्रथम अनुसूची—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

द्वितीय अनुसूची—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

---

[1] 1 अक्तूबर, 1960, देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि०1098, तारीख 24 सितम्बर, 1960, देखिए भारत का राजपत्र, 1960, भाग 2, खंड 3(i), अंग्रेजी, पृ० 1498 ।